GOVERNMENT BILL

The Indian Forest (Amendment) Bill, 2012

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Forest Act, 1927.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Zero Hour. Shri S.S. Ahluwalia.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand for urgent need to improve service conditions of Central Parlimentary Forces Personnel

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज एक नेशनल डेली के मुखपत्र पर एक खबर छपी है कि 46 हजार जवान, जो पैरामिलिट्री फोर्सिज में काम करते हैं, उन्होंने पिछले पांच वर्षों में या तो वी.आर.एस. ले लिया या वे नौकरी छोड़ कर चले गये। उसका मुख्य कारण है कि हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सिज के जो जवान हैं, जैसे, सी.आर.पी.एफ. हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सशस्त्र सीमा बल हो, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो और असम रायफल्स हो,...। ये लोग इतनी स्ट्रेस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, इनका डि-स्ट्रेसिंग प्रोग्राम भी नहीं होता। इनकी सर्विस कंडीशन्स इतनी पुअर हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कांस्टेबल की जॉब कंडीशन इतनी बुरी है कि एक कांस्टेबल को 18 से 20 साल लग जाते हैं हैड कांस्टेबल बनने में और एक असिस्टेंट कमांडेंट को 15 से 16 साल लग जाते हैं कि वह नेक्स्ट रैंक पर प्रमोट होकर सेकंड-इन-कमान हो। इसके अलावा 30 साल लग जाते हैं एक जवान को कमांडेंट बनने में। किसी तरह के नार्म्स के अनुसार प्रमोशन की ऐसी परम्परा किसी भी फोर्स में नहीं है। वे आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, वे मारे जा रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, परिवार से मिलने का मौका नहीं मिलता है, अपने आपको de-stress नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज बुलेट प्रूफ जेकेट पहन कर ऐसी-ऐसी जगह में देश की रक्षा करने के लिए और देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए वे वचनबद्ध होकर लगे रहते हैं, अन्ततः उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। उनके पास नए असले भी नहीं हैं, नई बुलेट प्रूफ जेकेट भी नहीं हैं। न उनके पास हथियार हैं लड़ने को, न तन ढकने के लिए बुलेट प्रुफ जेकेट है। ऐसे हालात में वे मारे जा रहे हैं और सुसाइड की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

महोदय, वी.आर.एस. की संख्या पिछले 5 वर्षों में बी.एस.एफ. में 22,260 हुई, सी.आर.पी.एफ. में 11,392 हुई, असम राइफल्स में 5,600, सी.आई.एस.एफ. 3,600 और आई.टी.बी.पी. में 1,600 और एस.एस.बी. 1,400 हुई है। इस प्रकार 45,981 लोग वी.आर.एस. ले चुके हैं।